न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 109 सन 2019
अनवान :–

1. रोशनी पत्नि प्रेमकुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

बनाम

1. प्रेम कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12.02..2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 118/114 के खसरा 2 की कुल 3.6930हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमकुमार के नाम दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोहनलाल के नाम से दर्ज थी मोहनलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसके सम्बध में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य परिवारिक समझौता के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीया के पक्ष में त्याग कर दिया इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है वादीया का कथन है कि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के वाद वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य परिवारिक समझौता होने पर प्रतिवादी सख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष मे कर दिया है वादीया के उक्त कथन को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके अपने हकों का त्याग वादीया के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है वादीया का कथन है कि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के बाद वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य परिवारिक समझौता होने के बाद वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि में से 2 हैक्टयर भूमि का त्याग किया हुआ है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 118/114 के कुल खसरा न0 2 की कुल 3.6930हैक भूमि में से 2 हैक्टयर भूमि वादीया के नाम दर्ज की जाती है तथा शेष भूमि 1.6930हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official